'राइट टू हैल्थ' बिल के विरोध में विधानसभा घेरने निकले निजी चिकित्सकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई

चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल ने स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा से स्पष्ट कहा कि यह बिल किसी सूरत में स्वीकार नहीं है

'राइट टू हैल्थ' एक्ट के विरोध में सोमवार को विधानसभा घेराव करने निकले चिकित्सकों को पुलिस ने स्टेच्यू सर्किल पर रोककर जमकर लाठीचार्ज किया।

जयपुर। प्रदेश में राइट टू हैल्थ बिल को लेकर निजी चिकित्सक संगठनों और सरकार के बीच लड़ाई सड़क से सदन तक पहुंच गई है। एक ओर जहां सरकार ने सोमवार को विधान सभा में बिल को चर्चा के लिए पेश किया, वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में करीब पांच हजार निजी चिकित्सकों ने जयपुर में विधानसभा कूचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चिकित्सकों और पुलिस के बीच में झड़प होने से कई डॉक्टर घायल हो गए। उधर डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि इस बिल को किसी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा।

जयपुर में जुटे पांच हजार निजी चिकित्सक

प्रदेश के करीब पांच हजार निजी चिकित्सक सोमवार को राइट टू हैल्थ बिल के विरोध में जयपुर में जमा हुए। यहां निजी चिकित्सक और हॉस्पिटल संचालक एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में पहुंचे। यहां उन्होंने बिल के विरोध में सभा करते हुए अपने तर्क रखे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे सभी चिकित्सक रैली के रूप में एसएमएस हॉस्पिटल से निकले। जेएलएन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति व नारायण सिंह सर्किल होते हुए सेंट्रल पार्क के सामने से स्टैच्यू सर्किल पहुंचे। इससे पहले अहिंसा सर्किल पर पुलिस ने रैली का नेतृत्व कर रहे इण्डियन मेडीकल एसोसियेशन के मीडिया चेयर मैन डॉ. संजीव गुप्ता और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव डॉ सरबेश शरण जोशी को जीप में बैठाया और दो घंटे तक सांगानेर जगतपूरा घुमाते हुए टोंक रोड पर पुलिया के पास छोड़ दिया।

स्टैच्यू सर्किल के पास पुलिस ने रोका

पुलिस ने सभी को करीब 1 बजे स्टैच्यू सर्किल के पास रोक लिया। इस दौरान आगे बढ़ने की बात को लेकर चिकित्सक और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। डॉक्टर्स ने बेरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास किया। सभी चिकित्सक स्टैच्यू सर्किल पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई।

- **लाठीचार्ज में कई चिकित्सक घायल हुए**
- **पुलिस कार्रवाई के विरोध में चिकित्सकों ने स्टैच्यू सर्किल पर धरना दिया**

पांच डॉक्टरों के फ्रैक्चर हुआ

चिकित्सकों का आरोप है कि पुलिस ने पुरुष चिकित्सक के साथ ही महिला चिकित्सक से मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। लाठीचार्ज में कई चिकित्सक घायल होकर लहूलुहान हो गए। लाठीचार्ज में डा विजय कपूर, डॉ. राजीव लोचन तांबी, डॉ अर्चना शर्मा और डॉ. संदीप चौधरी के हाथ में फ्रेक्चर हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग सोसायटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने बताया कि हम सभी आगे थे। पुलिस वालों ने अचानक खींचकर नीचे गिरा दिया। दो तीन लाठियां मारने के बाद भगदड़ मच गई। हम नीचे गिर गए। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि अब वह नहीं उठेंगे। पुलिस से झड़प के बाद डॉक्टरों का विरोध-प्रदर्शन बढ़ गया है। डॉ. विजय कपूर ने कहा कि अब डॉक्टर्स वापस घर नहीं जाएंगे। अब डॉक्टर्स स्टेच्यू सर्किल पर ही सड़क पर रात बिताएंगे और तब तक बैठे रहेंगे, जब तक बिल निरस्त नहीं हो जाता है। रात बिताने के लिए डॉक्टरों ने गद्दे-तकिये भी मंगा लिये।

विभिन्न संगठनों ने की लाठीचार्ज की निंदा

निजी अस्पतालों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बिल में कोई संशोधन भी नहीं चाहिए। किसी भी तरीके से यह बिल नहीं चाहिए। इस बात को लेकर पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को विधानसभा भेजा गया। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. विजय कपूर, डॉ. राकेश कालरा, डॉ. विजय पाल यादव, डॉ. कमल सैनी, डॉ. सुनील गर्सा शामिल रहें। प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा से बात की। जहां सिर्फ बिल को निरस्त करने के लिए कहा। इसके अलावा कोई बात नहीं की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल वापस आ गया। उन्होंने कहा कि अब सरकार से कोई वार्ता नहीं करेंगे। अब सड़क पर तब तक बैठे रहेंगे। जब तक राइट टू हेल्थ बिल निरस्त नहीं हो जाता है। उधर डॉक्टरों पर हुए लाठीचार्ज की विभिन्न चिकित्सक संगठनों ने निंदा की है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि डॉक्टरों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर किया गया लाठीचार्ज निंदनीय कृत्य है। उन्होंने इसके विरोध में कल दो घंटे 9 से 11 बजे तक सरकारी अस्पतालों में पैनडाउन कर कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं रेजीडेंट डॉक्टरों ने भी लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

पुलिस कमिश्नर ने मौका मुआयना किया

मामले को बढ़ता देख जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। कमिश्नर ने मौका मुआयना किया। इस दौरान कमिश्नर ने मौके पर पुलिस अधिकारियों से बात की। वहीं स्टेच्यू सर्किल पर पुलिस का भारी जाप्ता तैनात किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 2500 से ज्यादा निजी अस्पताल बंद है। जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बंद का असर सोमवार को देखने को मिला। निजी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी अस्पताल बिल के विरोध में अनिश्चितकाल के लिए बंद है।

गैंगस्टर रितिक बॉक्सर नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

पांच करोड़ की फिरौती के लिए जयपुर के जी-क्लब पर फायरिंग करवाई थी

गैंगस्टर रितिक बॉक्सर

- **रितिक फायरिंग व रंगदारी के एक दर्जन मामलों में वांछित था, पुलिस ने एक लाख रुपये इनाम घोषित कर रखा था**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गे गैंगस्टर रितिक बॉक्सर को जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। उसने 5 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में जी-क्लब पर पिछले दिनों फायरिंग करवाई थी। आरोपी पर फायरिंग और रंगदारी वसूली के 12 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8 जयपुर के है, जबकि तीन मामले हनुमानगढ़ और एक मुकदमा बीकानेर में दर्ज है। पुलिस मुख्यालय ने आरोपी रितिक पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। गैंगस्टर रितिक बॉक्सर ने जयपुर के व्यापारियों और अन्य लोगों को फोन कॉल करके और वॉइस मैसेज भेज कर अवैध वसूली के लिए धमकी दी थी।

एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश ऋतिक बॉक्सर (22 मालवीय नगर में सेक्टर-12, का रहने वाला हैं। यह मूलतः हनुमानगढ़ का हैं, जो पिछले चार माह से नेपाल में अलग-अलग ठिकानों पर फरारी काट रहा था। अंतिम समय में यह नेपाल के एक गेस्ट हाउस में फर्जी आईडी से रूका हुआ था। कुछ दिनों से रंगदारी ना मिलने से परेशान बदमाश जयपुर आकर खुद वारदात करवाने की तैयारी में था, लेकिन लगातार पीछा कर रही पुलिस ने नेपाल बॉर्डर की सीमा पार करते ही उसे दबोच लिया।

विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2022 में नवंबर-दिसंबर में जयपुर के व्यापारियों को रंगदारी की धमकी के कॉल आए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की थी। इसी बीच जवाहर सर्किल स्थित जी-क्लब पर फायरिंग की घटना भी हुई थी। जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी को 5 करोड रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी। जिसके बाद फायरिंग की घटना की गई। पुलिस ने मामले में 4 शूटर्स को पहले गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस मुख्यालय की ओर से किए गए अनुसंधान में बदमाश रितिक बॉक्सर की भूमिका पाई गई।

पिछले दिनों जयपुर पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर जयपुर लाई थी। यहां 14 दिन की रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ में कई जानकारियां सामने आई थी। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में आई सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में कई जगह पर पुलिस ने रेड भी मारी थी।

हाल ही में बदमाश लॉरेंस से जयपुर में हुई पूछताछ के बाद कमिश्रनेट पुलिस को यह लीड लगी थी कि बदमाश ऋतिक बॉक्सर नेपाल में फरारी काट रहा है। इस इनपुट के आधार पर कमिश्रनेट पुलिस की तीन टीम पिछले 5 दिन से नेपाल बॉर्डर के इलाकों पर डेरा डालकर बैठी थी। आरोपी जैसे ही नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसा तो नेपाल और बिहार बॉर्डर पर स्थित रक्सौल से इसे घेराबंदी कर दबोच लिया। हालांकि इसके पास कोई हथियार पुलिस को नहीं मिला है लेकिन कई महत्वपूर्ण उपकरण मिले हैं, जिनसे पुलिस को गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने में काफी मदद मिल सकती है।

एडिशनल डीसीपी (वेस्ट) रामसिंह शेखावत ने बताया बदमाश ऋतिक के कब्जे से जयपुर के अन्य व्यापारियों के फोन नंबर की लिस्ट मिली है, जिन्हें यह धमकी देकर फिरौती मांगने वाला था। पुलिस इस लिस्ट के बारे में इससे पूछताछ कर रही है कि इसके टार्गेट पर ओर कौन कौन था। क्लब पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस 13 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। अभी इस मामले एक लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर रोहित गोदारा फरार चल रहा है, जो विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है।

एडिशनल डीसीपी रामसिंह शेखावत के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई। इसमें दो 2 एसीपी चिरंजीलाल मीणा और खलील अहमद के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सहित 18 लोगों की एसआईटी में शामिल किया। इसमें एसआई राजेश कुमार, एएसआई महेन्द्र कुमार, साइबर सैल के दिनेश शर्मा और रिजर्व पुलिस लाइन के सोहन लाल आदि को शामिल किया गया। पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर रितिक बॉक्सर वर्ष 2019 में केंद्रीय कारागार जयपुर में बंद रहते हुए संपत नेहरा के माध्यम से लॉरेंस विश्नोई से रितिक बॉक्सर का परिचय हुआ था। बाद में गोल्डी बराड़ और अनमोल विश्नोई से जुड़ा।

निंबाराम के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश

- **अदालत ने माना कि वायरल ऑडियो-वीडियो की मूल डिवाइस को बरामद नहीं किया जा सका है**
- **वहीं अदालत ने सह आरोपी ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी की याचिका को खारिज कर दिया है**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड़ की रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश निम्बाराम की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने माना कि वायरल ऑडियो-वीडियो की मूल डिवाइस को बरामद नहीं किया जा सका है। वहीं अदालत ने सह आरोपी ओमकार सप्रे और संदीप चौधरी को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका में निंबाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस गिल ने बताया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया गया है। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर उसके पास राम मंदिर के चंदे का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब तक चंदा लेने की समयावधि पूरी हो चुकी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने प्रताप गौरव केन्द्र के लिए चंदा देने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने चंदे के साथ ही कंपनी की समस्याओं के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो क्लिप में बदले की भावना से कांट-छांट की गई है। एसीबी के पास मूल क्लिप और डिवाइस भी नहीं है। सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की बातचीत में निंबाराम की सक्रिय भागीदारी रही है।

पुलिस जांच में निम्बाराम के विरुद्ध साक्ष्य प्रमाणित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निम्बाराम के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और एसीबी कोर्ट की कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

गौरतलब है कि वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने दस जून, 2022 को मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

'ईंट के भट्टों के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी अनिवार्य है'

एन.जी.टी. ने ईंट के भट्टों के कारण हो रहे प्रदूषण से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

- **एन.जी.टी. ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह भी अनिवार्य है कि एक ही क्षेत्र के सभी भट्टे एक साथ शुरू ना हो।**
- **एन.जी.टी. ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पांच विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं जो ईंट के भट्टों से हो रहे प्रदूषण को कम करने का सुझाव दे परन्तु इस व्यवसाय की व्यवहारिता को भी ध्यान में रखें।**

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर। प्रदेश में ईंट के भट्टे से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए 'नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (एन.जी.टी.) की भोपाल स्थित बैंच के समक्ष सुनवाई में अदालत ने आदेश दिए की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) एक पांच सदस्यों की समिति का गठन करें जो ईंट के भट्टों के व्यवसाय व्यवहारिकता बरकरार रखते हुए उससे होने वाले प्रदूषण को कम करें। अदालत ने इस समिति कि रिपोर्ट मई में अगली सुनवाई से पहले मांगी है।

एन.जी.टी. ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ईंट के भट्टों में ज़ीग-जैग टैक्नोलॉजी लागू करने के लिए मानक और संचालन प्रक्रिया तय करें। साथ ही भट्टों में पी.एन.जी. और सी.एन.जी. गैस के उपयोग को बढ़ावा दे ताकि कोयले का उपयोग कम से कम हो।

एन.जी.टी. का मुख्य आदेश यह भी है कि ईंट के भट्टों के बीच में कम से कम 500 मीटर की दूरी हो और वह एक साथ शुरू ना हो ताकि उस क्षेत्र की आबो हवा को बहुत अधिक प्रदूषण से बचाया जा सके।

इस मामले में याचिकाकर्ता रामदास की ओर से अधिवक्ता हरिंदर नील पैरवी के लिए पेश हुए थे। याचिकाकर्ता की ओर से गुहार की गई है कि ईंट के भट्टों से कहीं अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। इस वजह से ईंट के भट्टों के व्यवसाय को साल में केवल छः महीने ही कार्य करने देना चाहिए। याचिकाकर्ता ने प्रदूषण से होने वाले कई दुष्प्रभावों के बारे में अदालत को अवगत कराया जैसे कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण 40 प्रतिशत बच्चों के फेफड़े क्षतिग्रस्त है और उनके मानसिक विकास पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदूषण से होने वाली सांस लेने वाली बीमारी के कारण सालाना 15 लाख लोग मरते हैं। एन.जी.टी. ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को अपने आदेशों का अनुपालन कर अगली तारीख तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।